

Form-VII

"Revised Certificate of Registration issued under Section 9(4) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 upon allotment of a new registration number"


(See sub-rule (2) of rule 8)

Revised Certificate of Registration of Society

I hereby certify that **HIMGIRI SHIKSHA SAMITI**(name of the society) registered vide registration number **48** on 0000-00-00 00:00:00 Registered with District Registrar has been allotted a new Registration Number as undermentioned on this 26 day Mar month 2019 year under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State Code		District Code			Year Of Registration				Registration Number				
H	R	0	0	7	2	0	1	9	0	1	5	7	0
Name Of the Society								Registered Office Address					
HIMGIRI SHIKSHA SAMITI								SAMALKHA, PANIPAT					

Issued under my hand at [Panipat] this [26] day of (month)[Mar] (Year)[2019] having Unique Identification Number - 2001132232



Issuing Authority
District Registrar,
Panipat
(Signature of District Registrar)

SOME IMPORTANT PROVISIONS OF THE HRRS ACT 2012 TO BE FOLLOWED :

- One Flat one vote.
- Videography of each meeting/ election of society is mandatory.
- Collegium Scheme to be approved from District Registrar if members strength is more than 1000.
- Administrator if appointed will not enroll new members, incur capital expenditure and give employment in the society.
- Terms of Governing Body not to be more than 3 years.
- Member to be not less than 21 year age.
- Office bearers of society (Three to twenty one).
- General Body and other meeting should be conducted with quorum i.e 1st meeting - 40%, 2nd meeting - 25% and 3rd meeting - 15%
(see entire Provisions)
- Submission of mandatory Annual Returns i.e. list of members, list of members of collegium, list of office bearers, Annual Report on working, Balance Sheet & Auditors Report, Copy of special resolution otherwise shall attract penalties & fines as per provisions of Act.
- In case of Joint Apartment owners, 1st owner will be eligible to contest the elections.
- Proxy voting not allowed.
- Condominium/ Association covered under Apartment Ownership Act 1983 is to be formed by owners only.
- Election observer may be appointed by District Registrar or on request of Society

Verification Link: <https://haryanaindustries.gov.in/msme/verify/societvexistingregistration/id/132232>

[Signature]
PRINCIPAL

HIMGIRI PUBLIC SCHOOL
SAMALKHA (PANIPAT)

"Office Bearer and member of the Governing Body and changes therein to be filed along with Annual Return under section 33(4)(iii) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012"

(See sub-rule (3) of the 19)

List of members and changes therein during year 2017-2018

Filing for the year [2017 - 2018]		Ending march [2017 - 2018]			
1. Name of the Society		HIMGIRI SHIKSHA SAMITI			
2. Registered Office Address:		374/4, G T Road, Near Old Petrol Pump, Samalkha, Panipat			
3. Registration No.:		48			
A. Details of office-Bearers and members of the Governing body as on 31 March of the previous year : (2017 - 2018)					
Sr. No.	Name of the office-Bearers and members of the Governing body	Membership No.	Designation	Full address of the members	Date of Appointment
1	D.K. Bhalla	1	President	Padav Mohalla, Samalkha, Panipat	21/04/1998
2	Anil Bansal	2	Vice President	Old Gur Mandi, Near Mandir, Samalkha, Panipat	21/04/1998
3	Vijay Lakshmi	3	Secretary	374/4, Near Petrol Pump, Samalkha, Panipat	21/04/1998
4	Zile Singh	4	Joint Secretary	Vill Beholi, Samalkha, Panipat	21/04/1998
5	Anil Garg	5	Treasurer	E-12, Prem Nagar, North West, Delhi	21/04/1998
6	Rajbir Singh	6	Member	374/4, G To Road, Samalkha, Panipat	21/04/1998
7	Ramesh Kumar	7	Member	H-36, Birla Mandir Colony, Kurukshetra	21/04/1998
8					
9					
10					
11					
B. Appointments to the Governing Body during the year for which report is being submitted [2017 - 2018].					
Sr. No.	Name of the office-Bearers and members of the Governing body	Membership No.	Designation	Full address of the members	Date of Appointment
1	P.K. Dhiman	8	President	VPO Bhadour, Teh, Madlauda, Panipat	01-10-2018
2	Anil Bansal	2	Vice President	Old Gur Mandi, Near Mandir, Samalkha, Panipat	01-10-2018


PRINCIPAL
HIMGIRI PUBLIC SCHOOL

30

3	Vijay Lakshmi	3	Secretary	374/4, Near Petrol Pump, Samalkha, Panipat	01-10-2018
4	Zile Singh	4	Joint Secretary	Vill Beholi, Samalkha, Panipat	01-10-2018
5	Anil Garg	5	Treasurer	E-12, Prem Nagar, North West, Delhi	01-10-2018
6	Rajbir Singh	6	Member	374/4, G To Road, Samalkha, Panipat	01-11-2018
7	Ramesh Kumar	7	Member	H-36, Birla Mandir Colony, Kurukshetra	01-10-2018
8					
9					
10					
11					

C. Removal from the Governing body during the year for which report is being submitted

Sr. No.	Name of the office-Bearers and members of the Governing body	Membership No.	Date of removal	Reason for the removal
1	D.K. Bhalla	1	18-5-2007	Death
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Filed by: The above particulars are certified to be correct as per the records of the Society

Sign. <i>V. Dharma</i> Secretary	Sign. <i>[Signature]</i> President	Date 29/1/19
Name of Secretary Hingiri Shiksha Samiti Samalkha (Panipat)	Name of the President Hingiri Shiksha Samiti Samalkha (Panipat)	Place: Panipat
VIJAY LAKSHMI	P. R. DHIMAN.	

[Signature]

PRINCIPAL

HINGIRI PUBLIC SCHOOL

(PANIPAT)

100

(SAMALKHA, PANIPAT)

Form-XV

"List of members of the Society along with changes therein to be filed with District Register under section 18(3) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012"

(See rule 13)

List of members and changes therein during year 2017-2018

1. Name of the Society: HIMGIRI SHIKSHA SAMITI
2. Registered Office Address: 374/4, G T Road, Near Old Petrol Pump, Samalkha, Panipat
3. Registration No.: 48
4. Maximum Limit of the number of Members of the Society in its Bye-Laws, if-any:

List of members as submitted for the previous year ending March 2017

Sr. No.	Name of the members	Membership No.	Full address of the member	Occupation	Date of enrollment
1.	D.K. Bhalla	1	Padav Mohalla, Samalkha, Panipat	Social Worker	21/04/1998
2.	Anil Bansal	2	Old Gur Mandi, Near Mandir, Samalkha, Panipat	Social Worker	21/04/1998
3.	Vijay Lakshmi	3	374/4, Near Petrol Pump, Samalkha, Panipat	Social Worker	21/04/1998
4.	Zile Singh	4	Vill Beholi, Samalkha, Panipat	Social Worker	21/04/1998
5.	Anil Garg	5	E-12, Prem Nagar, North West, Delhi	Social Worker	21/04/1998
6.	Rajbir Singh	6	374/4, G To Road, Samalkha, Panipat	Social Worker	21/04/1998
7.	Ramesh Kumar	7	H-36, Birla Mandir Colony, Kurukshetra	Social Worker	21/04/1998
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

B. List of members who ceased to be members during the year 2017-18

Sr. No.	Name of the member	Membership No.	Date of cessation of membership	Reason for cessation (Death/Resignation/Removal)	Remarks, if removed (for non-payment of fees or any other reason)
1.	D.K. Bhalla	1	18-5-2007	Death	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

PRINCIPAL

HIMGIRI PUBLIC SCHOOL
SAMALKHA (PANIPAT)

8					
9					

C. List of persons admitted as new members during the years after the last filling: 2017-2018				
Sr. No.	Name of the member	Membership No.	Date of admission	Occupation
1	P.K. Dhiman	8	20-09-2018	Social Worker
2				
3				
4				


5. This is to certify that:

(i) The members who have been included and/or the members whose name(s) has been deleted in the register of members during the year [str] are as per the provisions of the Byelaws of the Society and the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 and the rules made there under:

(ii) the total number of members is within the limit specified in the byelaws of the Society:

(iii) there are no other changes in the register of members during the year [2007] and the above list is as per the Register of Members maintained by the Society under section 18 of the Act :

Filed by:			
Sign. Secretary	Sign. President	Date	
Himgiri Shiksha Samiti	Himgiri Shiksha Samiti	20/1/19	
Name of Secretary Samaikha (Panipat)	Name of the President Samaikha (Panipat)	Place:	
VIJAY LAKSHMI	P. R. DHIMAN.	Panipat	


 PRINCIPAL
 HINGIRI SHIKSHA SAMITI
 (SAMAIKHA, PANIPAT)



Specimen signature of P. R. Dhiman

1. P.R.

2. P.R.

3. P.R.

PRINCIPAL
HIMGIRI PUBLIC SCHOOL
SAMALKHA (PANIPAT)

Ann - II

विद्या समिति के महाधिकारियों एवं प्रबंधक तद्विहित प्रकृतय में हैं तथा उनके नाम, पद, हस्ताक्षर व बते निम्न प्रकार से हैं।



क्र. सं.	पद	नाम	पता	व्यवसाय
1.	प्रधान	श्री डी के भल्ला 1	बड़ाव चौक तमालखा	तेजा मुक्त <i>M.Bhalla</i>
2.	उप प्रधान	श्री अनिल बंसल 2	रमेश फाउंड्री तमालखा	टयागर <i>Ramesh</i>
3.	प्रबंधक	श्रीमति बिजय लक्ष्मी 3	323/3 जी टी रोड तमालखा	हाऊस बाईस <i>Vijay Lakshmi</i>
4.	तथिब	श्री जिते सिंह 4	गांव बिहोली	कृषि <i>Jitesh</i>
5.	उप तथिब			
6.	कोषाध्यक्ष	श्री अनिल गर्ग 5	मार्कट बनारसी दास रोड लाल बिश्वकर्मा धर्मशाला तमालखा	टयागर <i>Anil</i>
7.	शैक्षणिक सलाहकार	श्री राजवीर सिंह 6	323/3 जीटीरोड तमालखा	नौकरी राजवीर सिंह
8.	सम	श्री रमेश कुमार 7	गांव घोघड़ीपुर (करनाल)	नौकरी <i>Ramesh Kumar</i>

संजीव कुमार हिमगिरी शिक्षा समिति

* गवाह :-

1 - संजीव कुमार अनेजा रडवोकेट

घेम्बर नं 127 जिला कथेहरी पानीपत

M.Bhalla प्रधान
M.Bhalla प्रबंधक
हिमगिरी शिक्षा समिति
हिमगिरी शिक्षा समिति
सम-काय (संयोजक)

S. K. Sharma
6-4-98

Certified to be a true Copy
Vijay Lakshmi
Vijay Lakshmi Rathee
Manager, H.P.S.
GAMAI KHA (Panipat)

[Signature]
PRINCIPAL
HIMGIRI D. SCHOOL
5

हिमगिरी शिक्षा समिति का ज्ञापन - पत्र ।

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत शिक्षा समिति जिसका नाम "हिमगिरी शिक्षा समिति, 323/3 जी० टी० रोड, समालखा जिला पानीपत के रजिस्ट्रेशन हेतु" जिला पानीपत के रजिस्ट्रेशन हेतु निम्न ज्ञापन पत्र व निम्न और उद्देश्य है :-

1- समिति का नाम :-

हिमगिरी शिक्षा समिति, समालखा तहसील समालखा जिला पानीपत ।

2- समिति का कार्यक्षेत्र :-

यह समिति मुख्यतया समालखा क्षेत्र में कार्य करेगी लेकिन अपनी शाखाएँ जिला पानीपत के अन्य क्षेत्रों में भी बना सकती है ।

3- समिति का मुख्यालय :-

समिति का आधिकारिक दफ्तर 323/3 जी० टी० रोड समालखा में होगा ।

4- समिति के उद्देश्य :-

हिमगिरी शिक्षा समिति के निम्न उद्देश्य होंगे :-

1- उच्चार, व्यापारिक, वैज्ञानिक व्यवसायिक चिकित्सा संबंधी एवं आधार मुल शिक्षा का विस्तार करना ।

2- जाति तथा धर्म के भेदभाव के बिना अधिकारी-विद्यार्थियों को भर्ता, छात्रवृत्ति और अन्य शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करना ।

3- उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिमगिरी पब्लिक स्कूल की प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर पाठशाला की यथा शक्ति की स्थापना करना और व वैसी संस्थाएं बनाया । शिक्षा के दौरान राष्ट्रीय सांस्कृतिक की सुरक्षा के लिए विद्यार्थियों को मानसिक अध्यात्मिक शारीरिक, बौद्धिक विकास में पूर्ण सहायता करना या सुविधा देना व सुझाव देना तथा भारत और विदेशों में वैज्ञानिक और औद्योगिक विभागों में परस्पर संबंध स्थापित करना ।

4- महिलाओं, छात्र और छात्राओं की बहुपक्षी सहायता कार्य करना तथा संस्था खोलना

भारत के प्राचीन ज्ञान से संबंध व्यापारिक शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण से संबंधित

हिमगिरी शिक्षा समिति
समालखा जिला पानीपत

Vijay Lakshmi Rathee
Manager, H.P.S.
SAMAL KHA (Panipat)

Principal
HIMGIRI PUBLIC SCHOOL
SAMAL KHA PANIPAT

26-

14

- 1 2 :-

सूचनाओं तथा ज्ञान को बढ़ाना सहायता देना एवं प्रोत्साहित करना विधि साधनों से जैसे कि भाषाओं के विकास से, बाय विधाद, पुस्तकालयों, समाचार पत्रों, पुस्तकों तथा नक़्शों के प्रकाशन से।



6- वैश्विक तथा बाल्य ज्ञान वृद्धि के लिए पुस्तकालयों की स्थापना करना।

7- संस्था के लिए उचित चल व अचल संपत्ति, भूमि, मकान या अन्य प्रकार की संपत्ति प्राप्त करना, देवना, धरती देना या पट्टे पर लेना या देवना

8- समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार की क्षीयत द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति उपहार भ्रान वंदा एकत्रित करना, प्राप्त करके समर्पण करना तथा उसके व्यय प्राप्त के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाने व छोड़ना

9- समिति के उद्देश्यों की पूर्ति परिवर्तन या सुधार के लिए समिति समाज के अधिन किसी स्थान पर निर्माण करना, शिक्षा के विकास से संबंधित या अपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे अन्य कार्यों का करना, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रोत्साहित रूप देने के लिए किसी भी प्रकार के धन का उधार लेना या इशतहा करना।

मयार प्रबन्धक
 V. Lakshmi Rani (Himgiri शिक्षा समिति)
 Manager, H.P.S
 SAMALKHA (Panipat)

13/
 PRINCIPAL
 HIMGIRI PUBLIC SCHOOL
 SAMALKHA PANIPAT

(45)

निम्नलिखित अवस्थाओं में -गिति में रिक्त स्थान होगा ।

1. किसी सदस्य का पदाधिकारी की पद लुप्त हो जाने पर ।
2. किसी सदस्य के त्याग पत्र देने की अवस्था में ।
3. किसी सदस्य के बायल हो जाने पर
4. सोसायटी के दो तिहाई बहुमत द्वारा किसी सदस्य का बहिष्कार किये जाने पर
5. किसी न्यायालय द्वारा किसी गैरिअपराध में दोषी पाये जाने पर ।
6. किसी सदस्य की तीन मीटिंग में लगातार अनुबन्धित पर ।
7. तथा ~~...~~ गददारी करने पर ।

एक मीटिंग आम तभा में निम्नलिखित कार्यों को किया जायेगा ।

पदाधिकारियों तथा प्रबंध क कमेटी के सदस्यों का चुनाव ।

सदस्यों के प्रवेश की स्वीकृति दे ।

सोसायटी के काम बहुमत से ही विधान में संशोधन किये जायेंगे ।

साधारण चुनाव तक वर्तमान पदाधिकारी ही कार्यभार संभालेंगे ।

साधारणतया [जनरल मीटिंग] के लिए 15 दिन पहले सूचित करना होगा तथा कार्य-

कारिणी की मीटिंग के लिए 7 दिन पहले सूचित करना होगा ।

साधारण तभा की बैठक नहीं हो तथा कार्यकारिणी नियम, उन नियम बहुमत से बना के हैं । जिनकी स्वीकृति तभा की साधारण बैठक से ली जायेगी ।

वेला नियम :- यदि कभी तभाओं में स्वार्थ-भावना आ जाये जिससे तभा के उद्देश्यों पूर्ति में बाधा पड जाये या संस्था या संबिधान भंग होने का खतरा हो जाये तो प्रबंधक पान की सहमति से तभा के हित में सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है ।

सातन :-

सोसायटी के कार्यों का प्रबंध 'प्रबंधक कमेटी' नाम की तभा को सौंपा जायेगा ।

तभा की संख्या से संबंधित सभी मामलों पर जो संस्था के उद्देश्यों के बिधरीति न हो अधिकार होगा ।

प्रबंध कमेटी के सदस्य पदाधिकारियों समेत 7 से कम ब 15 से अधिक न होगा ।

पदाधिकारियों तथा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की अवधि बाँट वर्ग होगी । वे पुनः जाने से भी अधिकारी होंगे ।



Lakshmi Rathee
Manager, H.P.S.
AMALKHA (Panipat)

M.B. H...
समालखा (पानीपत)

Vijay...
समालखा (पानीपत)

M.B. H...
समालखा (पानीपत)

Principal
Himgiri Public School
Samalkha (Panipat)

4. प्रबंधक कमेटी या अधिकाधिकारियों लगेत आगामी तुनाब एक कार्यकारिणी रेगेी लेकिन निश्चित अवधि के बरघात अधिक से अधिक 6 माह तक का कार्यकाल विशेष अवधि में बढ़ाया जा तरेगा ।
5. किसी मीटिंग के लिए कम से कम एक सप्ताह पूर्व तखिब या मैनेजर की अनुमति के द्वारा कमेटी के सभी सदस्यों को सूचना दी जावेगी. परन्तु विशेष या अन्य सुविधाजनक स्थान पर होगी ।
6. सोलाघटी या प्रबंधक कमेटी की सभी तमारं स्कूल की चार दीवारी के अंदर या सुविधाजनक स्थान पर होगी ।
7. प्रबंधक कमेटी की मीटिंग के लिए सदस्यों की कम से कम निश्चित तरेगा कुल सदस्यों का 1/3 होगी और उपस्थित सदस्यों में से कम से कम एक बदाधिकारी होगा ।
8. सगा के सम्मुख उपस्थित सभी कियों का निर्णय तदा बहुमत द्वारा किया जायेगा मतों की समानता की आवश्यकता में प्रधान को विशेष मत डालने का अधिकार होगा । आवश्यकतानुसार मतदान गुप्त या सुले तोर पर करबाया जा तरेगा । मतदान की बढति की अवतरानुसार निर्णय करने का अधिकार सदस्यों का होगा ।
9. कमेटी की प्रत्येक मीटिंग के आगामी कार्यक्रमों को मैनेजर अथवा तखिब के तर्तीपर सहित रजिस्टर में उचित प्रकार से प्रवेश किया जाना चाहिए ।
10. प्रबंधक कमेटी में हुई किसी रिक्त स्थान की पूर्ति सोलाघटी के उला सदस्यों में से की जावेगी ।
11. गुंभीर उधराय या उर्विज्जवाल की अवस्था में प्रबंधक को अधिकार होगा कि वह किसी मी सदस्य या अधिकार विधर को बदरुत करें या कुछ समय के लिए अधिकार से वंचित कर दे परन्तु बहिष्कृति बदरुत अथवा अधिकार से वंचित करना प्रबंधक कमेटी के 2/3 बहुमत से ही संभव होगा ।
12. वह आम अवस्थाओं में स्कूल की देखभाल करेगी ।
13. सोलाघटी की प्रत्येक जनरल मीटिंग में प्रबंधक कमेटी के हिगाब किताब को तैक करने के लिए एक आडिटर नियुक्त किया जायेगा ब हर छः महीने के बाद इसकी रिपोर्ट प्रबंधक कमेटी को देगा ।



Vijay Lakshmi
Vijay Lakshmi Raihee
Manager, H.P.S.
SAMALKHA (Panipat)

Mohalla
नया
हिमगिरी शिक्षा समिति
समालखा (पानीपत)

Mohalla
अग्रवाल
हिमगिरी शिक्षा समिति
समालखा (पानीपत)

Gmfd
PRINCIPAL
HIMGIRI PUBLIC SCHOOL
SAMALKHA (PANIPAT)

17

कार्यों के लिए धन राशि कोटी द्वारा प्राप्त किये गये बजट के अनुसार खर्च होगी।
 उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या कोटी के अन्य कार्यों के करने के लिए प्रबंधक
 किसी भी समय अधीनस्थ कोटी को नियुक्त करके इस कोटी को तांब तकती है।
 मैनेजर या तस्विय या प्रबंधक समिति द्वारा किये गये सभी अभियोग संबंधक कोटी
 शीर से स्कूल के नाम पर होंगी। इस अभियोगों पर होने वाला व्यय स्कूल तोताइती
 इ से होना।

किसी भी द्वा राजनैतिक या बिनाधिकारी अभिप्राय हेतु विद्यालय का प्रयोग नहीं
 जायेगा। विद्यालय का क्षेत्र केवल मात्र शैक्षणिक होगा। विशेष अवस्थाओं में प्राणांक
 निर्दिष्ट कार्यों के लिए भी विद्यालय क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकेगा।

कार्यकारिणी में केवल बही बदाधिकारी ही चुने जायेंगे। जो समिति के सदस्य
 प्रधान तथा अन्य अधिकारिणों के प्रकार और कर्तव्य।

प्रधान :-



1. प्रबंधक कोटी की शर्तों को अवलंबना करना।
2. चुनाव करवाना।
3. चुनाव का परिणाम घोषित करना।
4. तथा के कार्यों की देखभाल करना।
5. आवश्यकता महिने पर अपने विशेष निर्णायक मत का प्रयोग करना।
6. प्रधान को अधिकार होगा कि वह विद्यालय के संबंधित मामलों पर प्रतिनिधित्व
 करे या अपने स्थान पर कथित उद्देश्य के लिए किसी सदस्य या बदाधिकारी
 को नियुक्त करे।
7. यदि यह उचित समझे तो तोताइती के सभी सदस्यों तथा कोटी के सभी
 सदस्यों को विद्यालय के अध्यापक वर्ग की स्कूल से संबंधित सभी मामलों पर
 तथा कर सकता है।
8. सभी प्रकार की तमस्त जिम्मेवारी प्रधान की होगी।
9. पूर्ण निरीक्षण व देखभाल का जिम्मेवार होगा।
10. यदि कैसला न हो तके तो कार्यकारिणी में तब्राधान कराना।

उपप्रधान /- प्रधान की अनुपस्थिति में या प्रधान का बंद रिक्त होने की हालत
 में उप प्रधान प्रधान के सभी कार्यों को निभायेगा।

Vijay Kumar
 प्रबंधक

M. Bhatta
 प्रधान
 हिमंती समिति
 समालोचक (पानीपत)

Vijay Kumar
 प्रबंधक
 हिमंती समिति
 समालोचक (पानीपत)

[Signature]
 PRINCIPAL
 HIMGIRI PUBLIC SCHOOL
 SAMALKHA (PANIPAT)

18

अधिकार और मैनेजर :-

अधिकार और मैनेजर दो अलग अलग समकित होंगे। परन्तु निम्नलिखित कार्य और अधिकार संयुक्त होंगे।

1. मैनेजर द्वारा : विद्यालय के अध्यापक वर्ग को प्रिंसीपल की तलाह से नियुक्त करना, रखायी करना, तरफकी करना, कुछ समय के लिए अधिकार से वंचित करना, दंडित करना, बर्द नीचा करना, बर्दस्यूत करना आदि लेकिन प्रबंधक कमेटी की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
2. प्रबंधक कमेटी द्वारा समय समय पर तय किये गये अन्य कार्यों को करना तथा उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के विषय में नियंत्रण बजट आदि तैयार करना आदि करना।
3. प्रबंधक कमेटी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी वार्षिक खर्च वेदावली तैयार करना।
4. खर्च की सीमाओं के अन्तर्गत 1000/- रुपये तक राशि का खर्च मैनेजर द्वारा किया जा सकता है।
5. संस्था के लिए आवश्यक आग व लचक का नियंत्रण रखना मैनेजर द्वारा।
6. संस्था की आवश्यकताओं या अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण लेना।
7. संस्था की प्रबंधक स्थायी बर्द होगा लेकिन समिति की आम सभा में 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है तथा समिति वादे तो इसे वैतनिक रख सकती है।
8. प्रबंधक द्वारा स्कूल के आम व्यय का हिसाब रजिस्टर रखना और रसीदों तथा व्यय किये गये धन का उचित रिकार्ड रखना।
9. प्रबंधक द्वारा स्कूल के आम व्यय का हिसाब रजिस्टर रखना और रसीदों तथा व्यय किये गये धन का उचित रिकार्ड रखना।
10. प्रबंधक सभी बहुमूल्य और महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रबंधक कमेटी की ओर से अपनी सुरक्षा में रखे जैसे मेसल मेसिंग कार्टिकिनेट और बात बुक आदि आदि।
11. घंटा झूठठान करना या करवाना [मैनेजर द्वारा]
12. समस्त रिकार्ड का रखना तथा दर्ज करना [मैनेजर द्वारा]
13. बैठकों की कार्यवाही तुरन्त रूप से चलाना व लिखना तथा प्रधान की अनुमति से बैठक बुलाना व विषय तय करके तैयार करना [मैनेजर द्वारा]
14. समिति की ओर से सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना [मैनेजर द्वारा]



Vijay Kumar
Maharaja H.P.S.
MALKHA (Panipat)

Vijay Kumar
प्रबंधक
हिमगिरी पब्लिक स्कूल समिति
लगातार
समालखा - पानीपत

[Signature]
PRINCIPAL
HIMGIRI PUBLIC SCHOOL
SAMALKHA (PANIPAT)

19

41

14. सरकार की ओर से छा अंश जहाँ आवश्यक हो अपने कार्यालय से लिखा बही करना [प्रबंधक सहित]

15. सभी प्रकार की आई सामग्रियों की बूझताह करना तथा प्रदान की तलाह ले उचित कार्यवाही करना [प्रबंधक सहित]

उप शिर्षक :- सचिव की अनुबन्धित में तथा सचिव का मद किसी अवस्था में खाली होने पर उनकी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।


बोधाध्यक्ष :- सभी प्रकार की संस्था संबंधी दलों को संविधान में प्रदत्त उचित अधिकारी की अनुमति से तैयार करना निम्नलिखित धन संबंधी कागजात को तैयार करना व रहना होगा ।

वैयक्तिक तलाहकार :-

1. सभी प्रकार के विद्या संबंधी मामलों में न्योचित तर्क संगत उचित एवं लाभकारी तलाह देना ।

2. ऐसी पुस्तकों या अन्य सामग्री की तलाह देना व प्रबंधक को जिम्मेदारियों के मुख्य उपदेश्यों की पूर्ति में सहायता मिले ।

श्रितीषल :- विद्यालय के श्रितीषल को हरियाणा विद्या विभाग द्वारा प्रदत्त श्रितीषलों प्राप्त होंगी और वह प्रबंधक श्रितीषल के निर्देशानुसार कार्य करेगा । श्रितीषल चन्दा श्रितीषलों के विषय में स्कूल का तारा का तारा विद्यालय मैनेजर द्वारा बैंक किताब लियेगा । विद्यालय किताब श्रितीषल द्वारा तैयार किया जायेगा ।



क्रमांक	नाम	सत्यापन प्रतिलिपि हस्ताक्षर
प्रधान	श्री डी के मल्ल	बहादुर मोहनलाल तमालखा
उप प्रधान	श्री अनिल बंसल	रमेश कांउडी तमालखा
बोधाध्यक्ष	श्री अनिल गर्ग	मार्कट बनारती दात रोशन लाल बंसारी शिक्षक कर्माध्यक्षाला तमालखा
प्रबंधक	श्री मति विजय लक्ष्मी	323/3 जी टी रोड तमालखा
सचिव	श्री जिले सिंह	गांव तिहोली
वैयक्तिक तलाहकार	श्री राजबीर सिंह	323/3 जी टी रोड तमालखा
सम	श्री रमेश कुमार	गांव पोंछडीपुर [करनाल]

Principal
Himgiri Public School
Samalkha (Panipat)

Certified to be a True Copy
Registrar of Firms & Societies
Hariana

MBhalla
प्रधान
हिमगिरी समिति
समालखा (पानीपत)
Vijay Lakshmi

29

संविधान विभाग का प्रबंध एवं निबंध संस्था का नाम शिक्षा समिति शिक्षा समिति नामक संस्था द्वारा होगा । शिक्षा समिति 323/3 जी टी रोड समालखा रोमा और मुख्यालय 323/3 जी टी रोड समालखा मंडी रोमा ।

उद्देश्य स्थापन पत्र के तदनुसार ।

सदस्यता : स्थापना समिति के सदस्य तीन प्रकारके होंगे ।

1. आजीवन सदस्य :-
 - क. आजीवन सदस्य बनने की तय्यारी प्रत्येक से लेनी होगी जो व्यक्ति दिमागी रूप से स्वस्थ हो तथा शारीरिक रूप से हट्ट भुट्ट हो और जिसकी जितनी आयु कम से कम 21 वर्ष की हो ।
 - ख. जो स्थापना के सदस्यता के रूप में 501/- एक बार में दे ।
 - ग. स्थापना के संविधान के प्रति बंधावारी का प्रत्येक भर कर दे और पूर्ण सहयोग दें ।



2. माधारण सदस्य :-
 - क. जो व्यक्ति दिमागी रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से हट्ट भुट्ट हो और जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष की हो ।
 - ख. जो स्थापना को 51/- वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दे ।
 - ग. संविधान के प्रति बंधावारी को प्रत्येक से अपनासे और पूर्ण सहयोग दें ।

3. मान्य और अति मान्य सदस्य : कोई भी मान्यता प्राप्त व्यक्ति मान्य सदस्य के रूप में लिया जा सकता है । यदि उसे किसी प्रकार की सहायता की आशा हो और ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी और एक बार के लिए नियुक्त किए जायेंगे ।

कोई भी समुदाय स्थापना का सदस्य नहीं बन सकेगा । यदि कोई भी स्थापना का स्थापना स्थापना को कम से कम 1000/- रुपये सदस्यता शुल्क के रूप में दे तो वह अपने एक योग्य प्रतिनिधि या सदस्य के सभी की सदस्यता के लिए भी तथा संविधान के प्रति बंधावारी तथा पूर्ण सहयोगी की प्रत्येक दे ।

नोट: 1. संस्था का कोई नोन्डर, कार्यकारी कार्यकारिणी का सदस्य या बहाधिकारी नहीं बन सकता ।

2. सभी बहाधिकारी अवैलिक संस्था होगी ।

[Signature]
PRINCIPAL

HIMGIRI PUBLIC SCHOOL
SAMALKHA (PANIPAT)

[Signature]
Manager
SAMALKHA (PANIPAT)

[Signature]
प्रधान
हिमगिरी शिक्षा समिति
समालखा (पानीपत)